

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

आदेश

आ०संख्या-1/स्था०-27/2026

पटना, दिनांक

श्री अशोक कुमार, प्रधान आप्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के साथ संबद्ध करते हुए उनके कोषांग में पदस्थापित किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह०/-

(कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव),
अवर सचिव (प्र०को०)

ज्ञापांक- 1/स्था०-27/2026

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि :- श्री अशोक कुमार, प्रधान आप्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

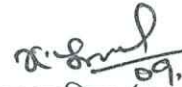
ह०/-

अवर सचिव (प्र०को०)

ज्ञापांक :- 1/स्था०-27/2026

4031/S/ पटना, दिनांक..... 09/06/26

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के वरीय प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख (मुख्यालय/कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना/सभी मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय उच्च पथ सहित), पथ निर्माण विभाग/आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


09.06.2026

अवर सचिव (प्र०को०)